सुधा बिक्री केन्द्र स्थापित करने हेतु खुदरा विक्रेता की पहचान एवं चयन प्रक्रिया

1. आवेदक मुख्यमंत्री महिला रोजगार से लाभान्वित महिलायें होनी चाहिए। उनके पास अपना LOKOS ID होना चाहिए।
2. आवेदक जिस पंचायत की निवासी है, उसी पंचायत के लिए आवेदन कर सकती है।
3. आवेदक के पास पंचायत मुख्यालय के आवासीय क्षेत्र में स्वयं/लीज़ का पक्का दुकान हो। दुकान की आगे से चौड़ाई कम से कम 8 फीट होनी चाहिए तथा क्षेत्रफल कम से कम 80 वर्ग फीट होनी चाहिए।
4. डीप फ्रीजर की स्थापना एवं संचालन हेतु पर्याप्त स्थान और विद्युत कनेक्शन उपलब्ध होना चाहिए।
5. इच्छुक खुदरा विक्रेताओं का आवेदन कॉम्फेड की अधिकारिक वेबसाईट www.sudha.coop और डेयरी, मत्स्य, पशु संसाधन विभाग की अधिकारिक वेबसाईट www.state.bihar.gov.in/ahd/ पर ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किया जायेगा। आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल होगी ताकि पारदर्शिता एवं सहभागिता सुनिश्चित हो सके।
6. प्राप्त आवेदनों की जाँच तथा दुकान के भौतिक सत्यापन कॉम्फेड के संघ/इकाई द्वारा जीविका के सहयोग से की जायेगी। प्राप्त आवेदनों में से सुयोग्य आवेदक का चयन एवं प्रतीक्षा सूची कॉम्फेड द्वारा लॉटरी के माध्यम से करते हुए उनकी सूची कॉम्फेड के आधिकारिक वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी ।
7. चयनित आवेदक को कॉम्फेड के माध्यम से Letter of Award (LOA)/कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
8. चयनित आवेदकों को एक 300 लीटर क्षमता का हार्ड–टॉप डीप फ्रीजर दिया जायेगा एवं उनके दुकान की ए.सी.पी.–एल.ई.डी ब्रांडिंग की जायेगी। **इस कार्य को पूर्ण करने का अनुमानित लागत रू 1,10,000/– है जिसका वहन चयनित आवेदक द्वारा किया जायेगा।**
9. यदि अंतिम रूप से चयनित आवेदनकर्ता चयन के उपरांत कार्य करने से मना करती है तो ऐसी स्थिति में उनका निर्गत कार्यादेश रदद् करते हुए प्रतीक्षा सूची में अगले आवेदक का चयन किया जायेगा।

<u>सुधा बिक्री केन्द्र का आवंटन निम्नलिखित कारणों से रद्द किया जा सकता हैः—</u>

1 यदि चयनित आवंटी/संचालक के द्वारा संतोषप्रद कार्य नहीं किया जाता है या जुर्माना अथवा चेतावनी पत्र देने के बाद भी यदि कार्य में सुधार नहीं पाया जाता है तो निम्नलिखित कारणों से अनुबंध/इकरारनामा समाप्त किया जा सकता हैः—

(क) आवंटी/संचालक का बिक्री प्रदर्शन लक्ष्य के अनुरूप नहीं रहने पर ।

(ख) यदि आवंटी/संचालक द्वारा कॉम्फेड से सूचीबद्ध उत्पादों के अतिरिक्त अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों/ब्रांडो के उत्पादों की बिक्री करते हुए पाया जाता है।

(ग) यदि आवंटी/संचालक द्वारा सुधा बिक्री केन्द्र को उप—पट्टे पर देते हुए पाया जाता है।

(घ) यदि आवंटी/संचालक द्वारा सुधा उत्पादों को निर्धारित दर (M.R.P) से अधिक दर पर बिक्री करते हुए पाया जाता है।

(ड़) यदि संबंधित संघ/इकाई/कॉम्फेड द्वारा आवंटित सुधा बिक्री केन्द्र आवंटी/संचालक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के बंद पाया जाता है।

2 कॉम्फेड/इकाई/संघ आवंटी/संचालक के साथ हुए समझौते को नोटिस अवधि दिये बिना तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि कॉम्फेड/इकाई/संघ को ज्ञात होता है कि आवंटी/संचालक द्वारा कॉम्फेड/इकाई/संघ, सुधा ब्रांड या ग्राहकों के हित के विरूद्ध कोई कार्य किया जा रहा है, जिससे कॉम्फेड/इकाई/संघ या सुधा ब्रांड की छवि खराब हो रही है।

3 किसी भी विवाद की स्थिति में संबंधित सभी पक्षों द्वारा आपस में बातचीत के माध्यम से विवाद को सुलझाया जायेगा। बातचीत से समाधान नहीं होने की दशा में विवाद का निपटारा मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम—1996 (Arbitration & Conciliation Act-1996) में निहित प्रावधानों के अनुरूप होगा। कानूनी मामलों की दशा में न्यायिक क्षेत्र पटना होगा।